उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः २७१/VII-A-1/2023–03(102)2021
देहरादून, दिनांकः 14 नवम्बर, 2023

अधिसूचना सं0 2882/VII-A-1/2023–03(102)2021, दिनांक 14 नवम्बर, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2023 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव



Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या– २८४/VII-A-1/2023–03(102)2021
देहरादूनः दिनांकः 14 नवम्बर, 2023

## अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

### उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 के उपनियम 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में निचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–1 के नियम 5(2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| नियम–(5)(2) खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट /हॉट मिक्स प्लांट/ रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र–"जे" में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र–"जे" (ओ0एस0) में अभिवहन पास जारी करेगा;<br><br>परन्तु राज्य के बाहर से आर0बी0एम0 एवं बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा। | खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र–"जे" में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र–"जे" (ओ0एस0) में अभिवहन पास जारी करेगा;<br><br>राज्य के बाहर से खनिजों (उपखनिज/ मुख्य खनिज) का परिवहन किये जा रहे वाहनों पर रू0 07/– प्रति कु0 की दर से खनिज विनियमन शुल्क (Mineral Regulating Fees) निम्नानुसार अवधारित करते हुए अधिरोपित किया जायेगा :–<br><br>अन्य राज्य से खनिज लेकर आने वाले वाहन के स्वामी द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के विभागीय पोर्टल https://dgmappl.uk.gov. in/ पर इन्टर स्टेट ट्रांजिट पास लॉगिन पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण मूल सूचनाओं यथा–वाहन |

Scanned with CamScanner

स्वामी/वाहन चालक का नाम, पिता का नाम, निवास का पता, मोबाईल नम्बर के आधार पर किया जायेगा।

उक्त सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त वाहन स्वामी/वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर लॉगिन आई0डी0 व पासवर्ड उपलब्ध होगा।

लॉगिन आई0डी0 व पासवर्ड के आधार पर परिवहनकर्ता ई–पेमेन्ट के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निर्धारित लेखा शीर्षक (0853–00–102–01–00) मे खनिज विनियमन शुल्क (Mineral Regulating Fees) की धनराशि को जमा कर सकेगा। प्रत्येक परिवहन के अवसर पर अभिवहन पास से सम्बन्धित विवरणों, जैसे–अन्य प्रदेशों के अभिवहन प्रपत्र का क्रमांक व दिनांक, प्रदेश व जनपद जो लॉगिन पर प्रदर्शित होगा, को अंकित किये जाने के उपरान्त परिवहन किये जाने वाली मात्रा के अनुसार खनिज विनियमन शुल्क (Mineral Regulating Fees) की कटौती होने के साथ ही रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर अर्न्तराज्यीय अभिवहन पास (ISTP) जनित होगा।

अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड मे आने वाले खनिजों के वाहनों पर उस राज्य के वैद्य अभिवहन प्रपत्र के साथ–साथ उत्तराखण्ड की अर्न्तराष्ट्रीय अभिवहन पास (ISTP) की प्रति संलग्न होने पर ही सम्बन्धित खनिजों का परिवहन विधिमान्य होगा।

नियम 14 के उपनियम 5(क) का संशोधन

3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–3 के नियम 14(5)(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| नियम–(14)(5)(क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर | यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु |

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा (01 टन से 25,000 टन तक, पर रॉयल्टी का दो गुना तथा 25,000 टन से 50,000 टन तक, पर रॉयल्टी का तीन गुना तथा 50,000 टन से 1.00 लाख टन तक, पर रॉयल्टी का चार गुना तथा 01 लाख टन से अधिक, रॉयल्टी का पांच गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज

नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार मे रॉयल्टी का दो गुना तथा इसके पश्चात् रॉयल्टी का तीन गुना तक के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी दिये जाने के सम्बन्ध मे ई–रवन्ना पोर्टल मे संशोधन किये जाने हेतु जिला खान अधिकारी के द्वारा निदेशालय को पत्र प्रेषित किया जायेगा। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं, को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/ निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ई–रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में

Scanned with CamScanner

का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ ई–रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में पूर्व में अधिरोपित/विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त रू0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) का नियमावली 2021 के प्रख्यापन से पूर्व अधिरोपित/ विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त रू0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

Scanned with CamScanner